उ०प्र०स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट

14–अशोक मार्ग, शक्ति भवन (वि०),

लखनऊ–226001

phone no. : 0522-2288187

website : www.uppst.org

email id : sectrustlko@gmail.com

पत्र संख्याः 949 /ट्रस्ट/सा०भ०नि०/विविध

दिनांक : 20.09.2018

ई०मेल

समस्त उपमहाप्रबन्धक/उपमुख्य लेखाधिकारी,
परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय,
डिस्कॉम आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को,
उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०/
उ०प्र०रा०वि०उ०नि०लि०/उ०प्र०ज०वि०नि०लि०।

आवश्यक/महत्वपूर्ण

विषय :– ट्रस्ट द्वारा वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक प्राप्त निधि मांग के सापेक्ष निर्गत सा०भ०नि० भुगतान के विवरण की पुष्टी किये जाने के सम्बन्ध में।

कृपया इस कार्यालय के पत्रांक 522/ट्रस्ट दिनांक 02.06.2018 का सन्दर्भ ले। अवगत कराना है कि ट्रस्ट स्तर से विगत कई वर्षों से सा०भ०नि० मद में निर्गत धनराशि का विवरण इकाईवार उपलब्ध कराया जा रहा है। जिससे कि सामान्य भविष्य निधि अन्तिम भुगतान स्वीकृत किये जाने, लेखा पर्ची निर्गत किये जाने या सामान्य भविष्य निधि अनुसूची ट्रस्ट को प्रेषित किये जाने से पूर्व इकाई द्वारा भुगतान की राशि दर्शाये जाने का मिलान/पुष्टी की जा सके, परन्तु संज्ञान में आया है कि कुछ इकाईयों द्वारा ट्रस्ट को प्रेषित कि जा रही सा०भ०नि० अनुसूचियों में कार्मिकों के डेबिट राशि का विवरण सम्बन्धित अधिकारी द्वारा मासिक लेखे के राशि में सत्यापित कर प्रेषित नहीं किया गया है जो कि आवश्यक है। साथ ही मासिक लेखों में दर्शायी गई राशि का विवरण भी संलग्न नहीं किया गया है। उपरोक्त कारणों से कार्मिकों की सेवानिवृत्ति/मृत्यु के पश्चात अन्तिम भुगतान करते समय/लेखा पर्ची निर्गत करते समय डेबिट अंकित न होने के कारण अधिक भुगतान कि सम्भावना हो सकती है। आप अवगत ही है कि यदि लेखा पर्ची निर्गत करते समय अग्रिम का सही लेखांकन त्रुटिवश छूट जाये तो अन्तिम भुगतान करते समय अधिक भुगतान होने की सम्भावना बनी रहती है, जिससे प्रत्याप्ति करना भी कठिन है। सा०भ०नि० अनुसूची के साथ डेबिट विवरण एव मासिक लेखे की बुकिग ना दर्शाय जाने पर सा०भ०नि० लेखा पर्ची निर्गत नहीं की जा सकेगी।

अतः आपको वर्ष 2009–10 से 2017–18 तक की सभी संवर्ग की ट्रस्ट स्तर से निर्गत डेबिट राशि का विवरण ई–मेल से पुनः इस आशय से प्रेषित कि इकाईयों से प्राप्त डेबिट अनुसूची के सापेक्ष ट्रस्ट स्तर से निर्गत धनराशि का मिलान कर, मासिक लेखों से सत्यापन के उपरान्त एक माह के भीतर पुष्टि करें। जिससे सामान्य भविष्य निधि लेखा पर्ची में डेबिट का सही लेखांकन किया जा सके एवं अन्तिम भुगतान करते समय अधिक भुगतान निर्गत होने की स्थिति से बचा जा सके।

संलग्नक : यथाउपरोक्त।

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) एवं
सचिव (ट्रस्ट)

पत्रसंख्या................/ट्रस्ट/सा०भ०नि०/तद्‌दिनांक 20.09.2018

प्रतिलिपि निम्न को भी सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

ई०मेल

1. निदेशक (वित्त एवं ट्रस्टी), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (वित्त), उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड/उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड/उत्तर प्रदेश जल विद्युत निगम लिमिटेड।
3. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक डिस्कॉम आगरा/लखनऊ/वाराणसी/मेरठ/केस्को/उ०प्र०पा०का०लि०/उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०।
4. अधिशासी अभियन्ता (कम्प्यूटर) को ट्रस्ट की वेब साइट पर अपलोड हेतु।
5. सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तर प्रदेश स्टेट पावर सेक्टर इम्प्लाइज ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

20/9/18

(पी०के० गुप्ता)
महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) एवं
सचिव (ट्रस्ट)